राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला SHG's को बैंक ऋण पर 50% ब्याज अनुदान योजना

1. राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक बैंक ऋण दिलवाकर उनकी छोटी–मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 10–11 के बजट में SHG ऋण ब्याज अनुदान योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार योग्य पाये जाने वाले 30000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 50% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

2. 1 जुलाई, 2010 के पश्चात स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले समूहों को ही उक्त योजना का लाभ देय होगा एवं समूह को अपने कुल जीवन काल में यह लाभ एक बार ही प्राप्त होगा। अतः ऐसे सभी महिला स्वयं सहायता समूह जिन्हें किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो, तथा **1 जुलाई, 2010** के पश्चात ऋण प्राप्त करते है, चाहे वह ऋण उनका पहला, दूसरा अथवा तीसरा ऋण हो, किंतु उन्हें एक बार ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। चाहे ऋण राशि कुछ भी हो, समूह को यह लाभ अधिकतम **रू 50000 की ऋण** सीमा तक ही मिलेगा।

3. **योजना का कार्यक्षेत्र**

   योजना का लाभ 1 जुलाई, 2010 के पश्चात ऋण लेने वाले गैर अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

4. **परिभाषाएं**

1. **बैंक**– बैंक से अभिप्राय वैधानिक तरीके से गठित बैंक एवं उनकी शाखाऐं हैं, यथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उनकी शाखा, राजस्थान राज्य कॉपरेटिव बैंक और उनकी शाखाऐं, जिन केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उनकी शाखाऐं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनकी शाखाऐं।

2. **डिफाल्ट**–यहां डिफाल्ट से अभिप्राय यह है कि संबंधित बैंक द्वारा जब भी किसी ऋण खाते को NPA घोषित कर दिया जावे।

3. **स्वयं सहायता समूह**– स्वयं सहायता समूह को SHG भी कहा गया है। इससे अभिप्राय 10 या 10 से अधिक महिलाओं के समूह से है, जो कि अलग–अलग परिवार की महिलाऐं हो तथा अपने सामाजिक व आर्थिक उन्नयन हेतु संगठित होकर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है।

4. **नोडल बैंक**– नोडल बैंक से अभिप्राय राज्य स्तर पर चिन्हित बैंक से है जो कि ऋण देने वाली शाखाओं के द्वारा ब्याज अनुदान के क्लेम को प्राप्त करेगा तथा वित्त विभाग द्वारा उन्हे उपलब्ध कराये गये कोष में से ऋण देने वाली शाखा को क्लेम राशि उपलब्ध कराएगा तथा निर्धारित MIS को संधारित करेगा।

5. **योजना की पात्रता**

5.1 ऐसे समस्त गैर अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्होंने 1 जुलाई, 2010 के पश्चात बैंक से ऋण लिया हो, वे अनुदान योजना के पात्र होंगे। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

5.2 उक्त योजना का लाभ समूह गठन के पश्चात समूह की पूर्ण आयु में एक बैंक ऋण पर ही दिया जाएगा।

5.3 यदि स्वयं सहायता समूह को 50000 रु से अधिक का ऋण प्राप्त होता है तो ऐसे समूहों को भी योजना का लाभ रु. 50000 की ऋण सीमा तक देय होगा।

5.4 उक्त योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य राजकीय विभागों तथा बैंकर्स द्वारा गठित ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह जिन्हें कहीं से भी कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा हो, वे ही इस योजना के पात्र होंगे।

5.5 योजना का लाभ ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा जो नियमित रूप से अपनी किश्तों का भुगतान कर रहे है।

5.6 उक्त अनुदान का लाभ उन सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त होगा जिनके बचत/ऋण खाते अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं अथवा पैक्स/लेम्प्स/मिनी बैंक में खोले गये है। लघु वित्तीय संस्थाओं (MFIs) द्वारा गठित एवं वित्त पोषित समूह योजना के पात्र नही होंगे।

5.7 ऐसे समूह जो 6 माह तक नियमित रूप से अपनी किश्त जमा नहीं कराते है परन्तु तत्पश्चात समस्त किश्तों का चुकारा पेनल्टी सहित कर देते है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे तथा SHG द्वारा चुकाई गई ब्याज राशि में से अनुदान स्वरूप 50% ब्याज राशि का क्लेम संबंधित बैंक शाखा द्वारा संबंधित नोडल बैंक से किया जा सकेगा। इस संबंध में बैंक द्वारा ली जाने वाली समस्त पेनल्टी का वहन SHG द्वारा ही किया जाएगा।

6. **क्रियान्वयन प्रकिया –**

6.1 राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को राज्य नोडल बैंक एवं एस.बी.बी.जे की सचिवालय शाखा, जयपुर को राज्य नोडल शाखा के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सहकारी बैंकों के लिए राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक को राज्य नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।-

6.2 स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने बैंक ऋणों के विरूद्व भुगतान की जाने वाली किश्तों के मूलधन तथा देय ब्याज की 50% राशि का ही भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50% ब्याज अनुदान राशि का क्लेम संबंधित बैंक शाखा द्वारा अपने बैंक की राज्य नोडल बैंक शाखा को वर्ष में चार बार त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका पुनर्भरण एस.बी.बी.जे की सचिवालय शाखा, जयपुर (समस्त राष्ट्रीयकृत/ वाणिज्यिक बैको तथा ग्रामीण बैको हेतु नियुक्त राज्य नोडल बैंक शाखा) एवं राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव अपेक्स बैंक (सहाकारी बैंकों हेतु नियुक्त राज्य नोडल बैक शाखा) द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा जिसके लिए वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से स्टेट बैंक

ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सचिवालय शाखा जयपुर एवं राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव अपेक्स बैंक जयपुर को योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 3 किश्तों में राशि का हस्तान्तरण किया जावेगा–

त्रैमास	बैंकों द्वारा उनकी राज्य नोडल बैंक को क्लेम प्रस्तुत करने की तिथि.	प्राप्त क्लेम्स को संबंधित राज्य नोडल बैंकों द्वारा पुनर्भरण करने की तिथि.
अप्रेल, मई, जून का क्लेम	8 जुलाई तक	15 जुलाई तक
जुलाई, अगस्त, सितम्बर का क्लेम	8 अक्टूम्बर तक	15 अक्टूम्बर तक
अक्टूम्बर, नवम्बर, दिसम्बर का क्लेम	8 जनवरी तक	15 जनवरी तक
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल का क्लेम	8 अप्रेल तक	15 अप्रेल तक

6.3 समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य मुख्यालय अथवा RRBs अपने प्रधान कार्यालय पर अपने बैंक की एक शाखा को राज्य नोडल बैंक शाखा के रूप में चिन्हित करेंगे और इन चिन्हित राज्य नोडल बैंक शाखा की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सचिवालय शाखा जयपुर को भेजेगें। उपरोक्त बैको की समस्त शाखाऐं अपने क्लेम उनकी राज्य नोडल बैंक शाखा को संलग्न निर्धारित प्रपत्र की तीन प्रतियों मे प्रस्तुत करेंगी। संबंधित राज्य नोडल बैंक शाखा प्राप्त क्लेम्स को SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा) को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत करेगी तथा SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा) द्वारा प्राप्त क्लेम्स का पुनर्भरण संबंधित राज्य नोडल बैंक को निर्धारित अवधि में कर दिया जावेगा।

6.4 सहकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने क्लेम्स उनकी जिला स्तरीय सहकारी बैंकों को बिन्दु संख्या 6.3 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त क्लेम्स को इसी प्रक्रिया अनुसार राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की शीर्ष बैंक (सहकारी क्षेत्र के राज्य नोडल बैंक) को पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक की शीर्ष बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों से प्राप्त क्लेम्स को क्लेम प्राप्ति के एक माह के भीतर पुनर्भरण किया जायेगा।

6.5 उपरोक्तानुसार क्लेम करने वाली समस्त बैंकों द्वारा पुनर्भरण हेतु उनसे संबंधित SBBJ की सचिवालय शाखा जयपुर (राज्य नोडल बैंक शाखा)/राज्य सहकारी नोडल शीर्ष बैंक को भेजी गई क्लेम की तीन प्रतियों में से दो प्रतियां उनसे संबंधित स्टेट नोडल बैंक को प्रेषित की जायेगी। संबंधित स्टेट नोडल बैंक द्वारा इन दो प्रतियों में एक प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रेषित की जायेगी।

6.6 बैंको द्वारा किये जाने वाले क्लेम्स की वैधानिकता की समस्त जिम्मेदारी क्लेमिंग बैंक की होगी, न कि पुनर्भरण (Reimbursing) बैंक की। क्लेमिंग बैंक द्वारा 5.1 से 5.7 पर उल्लेखितानुसार पात्रता की जांच करके क्लेम हेतु निर्धारित प्रपत्र में उक्त की जांच कर ली, का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

प्रपत्र–अ

Ref. No. .... Date .... MAIL to Nodal Branch of Concern Bank

50% INTEREST SUBSIDY ON BANK LOAN TO WOMEN SHGs (ISS-BLS) GOR

CLAIM FORMAT TO BE USED BY BRANCH FOR NEW CLAIMS

(CLAIM PERIOD FOR THE QUARTER ENDED-------------------------------)

Name of Bank .... **Tel.No.** ....

Branch ....

S. No.	Name of Women SHG & Address (Village & Block)	Loan Amount sanctioned Rs.	Loan A/c Number	SB A/c Number	Date of Sanction	Rate of Interest	Interest Amount	50% Int. Subd. Claimed	Whether A/c is Standard or NPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	TOTAL								

Certified that the claim is / are genuine & correct and as per 50% Interest Subsidy Scheme on Bank Loan to women SHGs (ISS-BLS) GOR (S. NO. 5(5.1 TO 5.7) of eliginilty criteria of the sceheme)

PLACE **BRANCH MANAGER**

DATED **(loan sanctioning/claiming branch**

प्रपत्र–ब

Ref. No. .... Date .... MAIL to Nodal Branch of Concern Bank

50% INTEREST SUBSIDY ON BANK LOAN TO WOMEN SHGs (ISS-BLS) GOR

CLAIM FORMAT TO BE USED BY BRANCH FOR OLD CLAIMS

(CLAIM PERIOD FOR THE QUARTER ENDED------------------------------)

Name of Bank .... Tel.No. ....

Branch ....

S. No.	Name of Women SHG & Address (Village & Block)	Loan Amount sanctioned Rs.	Loan A/c Number	SB A/c Number	Date of Sanction	Rate of Interest	Interest Amount	50% Int. Subd. Claimed	Whether A/c is Standard or NPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	TOTAL								

Certified that the claim is / are genuine & correct and as per 50% Interest Subsidy Scheme on Bank Loan to women SHGs (ISS-BLS) GOR (S. NO. 5(5.1 TO 5.7) of eliginilty criteria of the seeheme)

PLACE

DATED

BRANCH MANAGER
(loan sanctioning/claiming branch

D:\EDcumAD07-08\Note\50%formetwe15.6.11.xls

प्रपत्र–स

Ref. No. .... Date ....

MAIL to: The AGM, State Bank of Bikaner & Jaipur, Secretariat Branch Jaipur **In three copies**

50% INTEREST SUBSIDY ON BANK LOAN TO WOMEN SHGs (ISS-BLS) GOR

CONSOLIDATED CLAIM FORMAT TO BE USED BY NODAL CLAIMING BRANCH OF BANK FOR NEW CLAIMS

(CLAIM PERIOD FOR THE QUARTER ENDED-----------------------------)

Name & Address of the ....
Nodel Claiming Branch ....

Mobile & Tel.No. ....

S. No.	Nam of the branch (es) on whose behalf the claims lodged	Name of District	No. of claims covered	Amount of claims	Remarks
1	2		3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	Total				

PLACE
DATED

Signature of the authorized officer of Nodal Claiming Branch of Bank

प्रपत्र–द

Ref. No. .... Date ....

MAIL to: The AGM, State Bank of Bikaner & Jaipur, Secretariat Branch Jaipur **In three copies**

50% INTEREST SUBSIDY ON BANK LOAN TO WOMEN SHGs (ISS-BLS) GOR

CONSOLIDATED CLAIM FORMAT TO BE USED BY NODAL CLAIMING BRANCH OF BANK FOR OLD CLAIMS

(CLAIM PERIOD FOR THE QUARTER ENDED------------------------------)

Name & Address of the ....
Nodel Claiming Branch ....

Mobile & Tel.No. ....

S. No.	Nam of the branch (es) on whose behalf the claims lodged	Name of District	No. of claims covered	Amount of claims	Remarks
1	2		3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	Total				

PLACE
DATED

Signature of the authorized officer of Nodal Claiming Branch of Bank

D:\EDcumAD07-08\Note\50%formetwe15.6.11.xls